कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्था/2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री रामकृष्ण सेवटा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दीनगढ, संगरिया जिला हनुमानगढ का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाजपुरा, बांसवाडा किया गया था जिसके विरूद्ध श्री रामकृष्ण सेवटा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 14966/2019 रामकृष्ण सेवटा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 14966/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्री सेवटा को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं याचिकार्थी की निकट सेवानिवृति को मद्देनजर रखते हुए उस पर सहानुभूतिपूर्व विचार कर 30 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। याचिकार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण तक आक्षेपित आदेश दिनांक 29.09.2019 का क्रियान्वयन माननीय न्यायालय द्वारा याचिकार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृति में 15 दिन का समय शेष होने को मद्देनजर रखते हुए अपना स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दीनगढ, संगरिया जिला हनुमानगढ किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। याचिकार्थी श्री रामकृष्ट सेवटा की स्वैच्छिक सेवानिवृति दिनांक 02.11.2019 के मद्देनजर एवं उनके द्वारा पेंशन परिलाभों को प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब उत्पन्न ना हो, को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी श्री रामकृष्ट सेवटा की हद तक एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है एवं दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर श्रीमती ममता गोस्वामी, प्रधानाचार्य के सम्बन्ध में जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 की प्रभावी तिथि दिनांक 03.11.2019 की जाती है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/रामकृष्ण सेवटा/14966/2019 दिनांक 16.10.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, हनुमानगढ।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

16/10/19
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)